ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 8.4
IJAR 2022; 8(9): 287-290
www.allresearchjournal.com
Received: 17-07-2022
Accepted: 23-08-2022

डा० संगीता सिंघल
एसोसिएट प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग, एस०डी० कॉलिज, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश, भारत

Corresponding Author:
डा० संगीता सिंघल
एसोसिएट प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग, एस०डी० कॉलिज, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश, भारत

भारत में महिला उद्यमी

डा० संगीता सिंघल

DOI: https://doi.org/10.22271/allresearch.2022.v8.i9d.11150

प्रस्तावना

महिला उद्यमिता को किसी भी देश की आर्थिक प्रगति का एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। भारत को वैश्विक महाशक्ति बनाने में महिला उद्यमी, आज महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। महिला उद्यमिता को आज ग्रामीण और शहरी ग़रीबी की समस्या के समाधान की कारगर रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। महिला उद्यमिता, महिला सशक्तीकरण का सबसे बड़ा माध्यम है महिला उद्यमी न केवल खुद को आत्मनिर्भर बनाती है, बल्कि दूसरों के लिए रोज़गार के अवसर बढ़ाती है। इसके द्वारा अन्य चुनौतियां जैसे ग़रीबी, असमानता, मानवाधिकारों का हनन व क्षेत्रीय असमानताओं को भी कम किया जा सकता है। महिला उद्यमिता से महिलाओं को निर्णय, स्वामित्व का अधिकार तो मिलता है, बल्कि समाज में उद्यमिता का एक कुशल ईको तंत्र भी विकसित होता है। महिला उद्यमिता के द्वारा महिलाओं की आर्थिक व सामाजिक स्थिति मज़बूत करके क्षेत्रीय विकास को बल दिया जा सकता है। भारत में सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम और क्षेत्रों में महिलाएँ बहुत पुराने समय से संलग्न हैं और इन क्षेत्रों में अपना बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। हाल के दशकों में भारत में तीव्र आर्थिक वृद्धि के बावजूद, अभी भी महिला उद्यमियों की संख्या काफ़ी कम है। छठी आर्थिक जनगणना के आंकडों से स्पष्ट है की 13.76 प्रतिशत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम महिलाओं के स्वामित्व वाले हैं सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के स्वामित्व वाले उद्यमों की संख्या अधिक है (कुल उद्यमों में से 22.24 प्रतिशत महिला स्वामित्व वाले) जबकि इसकी तुलना में शहरी क्षेत्रों में इनकी संख्या कम है (कुल उद्यमों में से 18.42 प्रतिशत महिला स्वामित्व वाले)।

महिलाओं के स्वामित्व वाले सबसे अधिक उद्यम भारत के दक्षिणी राज्यों – तमिलनाडु (13.5 प्रतिशत), केरल (11.35 प्रतिशत) और आंध्र प्रदेश (10.58 प्रतिशत)। भारत में केवल 20 प्रतिशत उद्यम महिलाओं के स्वामित्व वाले हैं जो कि 22 से 27 मिलियन लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करते हैं। भारत में केल 6 प्रतिशत महिलाऐं ही भारतीय स्टार्टअप्स की संस्थापक हैं। कम्प्यूटर, मोटर, धातु उत्पादों, मशीनरी और उपकरणों से सम्बंधित उद्योगों में महिलाओं की 2 प्रतिशत या उससे भी कम की हिस्सेदारी है। आर्थिक सर्वेक्षण 2019–20 से ज्ञात होता है कि 2019 के महिला उद्यमी सूचकांक के 57 देशों में भारत का स्थान 52वाँ रहा है। नेशनल सैंपल सर्वे के अनुसार भारत के व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में से केवल 14 प्रतिशत प्रतिष्ठान ही महिलाओं द्वारा संचालित हैं।

महिला उद्यमिता के लिए प्रेरक आवश्यकताऐं

आर्थिक आवश्यकता – संयुक्त प्रणाली के टूटने और मुद्रस्फीति या बढ़ती कीमतों के सामने जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए अतिरिक्त आय की आवश्यकता के कारण महिलाओं नें व्यवसाय की सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी दुनिया में प्रवेश कराना शुरू कर दिया है।

उच्च उपलब्धि की इच्छा – महिलाओं को व्यवसाय की दुनिया में प्रवेश करने के लिए मजबूर करने वाली एक प्रेरक शक्ति उनके जीवन में उच्च उपलब्धि के लिए उनकी प्रबल इच्छा है।

स्वतंत्रता – एक महिला को उद्यमी बनने के लिए मजबूर करने वाली एक मजबूत प्रेरणा शक्ति, आत्मविश्वास और आत्म सम्मान के साथ एक स्वतंत्र जीवन जीना है। एक महिला उद्यमी को एक सफल व्यवसाय का स्वामित्व और नियन्त्रण, व्यक्तिगत प्रतिष्ठा और समाज में स्वतंत्रता की भावना प्रदान करता है।

शिक्षा – महिलाऐं किसी भी प्रकार के व्यापार व व्यवसाय में स्वरोजगार प्राप्त करने हेतु विभिन्न प्रकार की तकनीकी, व्यवसायिक, औद्योगिक विशिष्ट शिक्षा ग्रहण कर रही हैं।

सरकारी प्रोत्साहन – सरकारी और गैर सरकारी निकायों ने स्वरोजगार और व्यवसायिक उपक्रमों के माध्यम से महिलाओं की आर्थिक स्थिति पर अधिक ध्यान देना शुरू कर दिया है। आज सरकार विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों के माध्यम से महिला उद्यमियों को बढ़ावा दे रही है।

मॉडल भूमिका – भारत में महिलाऐ भी देश के विकास में अपना योगदान देकर एक अहम रोल मॉडल की भूमिका निभा रही है। आज के शिक्षा, राजनीति, प्रशासनिक, सामाजिक क्षेत्रके अलावा व्यावसायिक क्षेत्रों में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

पारिवारिक व्यवासाय – पारिवारिक व्यावसायिक भी एक महिला सदस्य को उसके परिवार के अन्य सदस्यों के साथ पारिवारिक व्यवसाय में भाग लेने के लिए प्रेषित करता है ताकि पारिवारिक व्यवसाय के खर्च को कम करके अपनी आय में वृद्धि की जा सके।

रोजगार सृजन – रोजगार के अवसरों का सृजन भी महिलाओं को उद्यमी बनने के लिए प्रेरित करता है। महिला उद्यमी ग्रामोद्योग, हस्तशिल्प कला, कुटीर उद्योगों को स्वरोजगार का साधन बनाती है।

बढ़ती जागरूकता – शिक्षा के प्रसार और महिलाओं में बढ़ती जागरूकता के साथ, महिला उद्यमी बढ़ रही है। आज, कुटीर उद्योगों के अलावा वे इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और उच्च तकनीकी कौशल वाले क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं।

महिला उद्यमी की समस्याऐं

आदिकाल से ही उद्यमिता पर पुरूषों का वर्चस्व रहा है, इसी कारण से इस क्षेत्र में महिलाओं के प्रवेश को अनुपयुक्त व अवांछनीय समझा जाता है। महिला उद्यमियों के मार्ग में आने वाली प्रमुख समस्याऐं निम्न हैं–

पुरूषों से प्रतिस्पर्धा – एक ही क्षेत्र के उद्यमों में महिलाओं को पुरूष उद्यमियों के सहयोग मिलने की अपेक्षा प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है।

आत्मविश्वास की कमीं – व्यावसायिक गतिविधियों, मीटिंग, सेमिनारों इत्यादि में महिलाऐं में पर्याप्त आत्मविश्वास की कमीं देखी जाती है।

रूढ़िवादी विचारधारा – अनेक प्रकार के उद्यमों एवं व्यवसायों में महिलाओं के प्रवेश को अवाँछनीय माना जाता है।

घर के सदस्यों द्वारा सहयोग न करना – घर की महिलाओं द्वारा उद्यमी महिला को सामान्यतः सहयोग नहीं किया जाता है। भारत की पारिवारिक व्यवस्था भी महिला उद्यमी की सफलता के मार्ग में एक बाधा है।

सामाजिक बन्धन – महिला उद्यमियों के मार्ग में आने वाली प्रमुख समस्या सामाजिक बंधन भी है। पर्दा प्रथा, रात्रिकालीन कार्य तथा व्यवसाय विशेष में विशेष प्रकार की वेशभूषा, ये सभी महिला उद्यमियों के मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं।

गतिशीलता का अभाव – महिला उद्यमियों में गतिशीलता का अभाव होता है क्योंकि महिलाएँ एक उद्यम को छोड़कर दूसरे उद्यम को अपनाने का जोखिम नहीं उठा पाती हैं।

स्वयं निर्णय क्षमता का अभाव – महिला उद्यमियों में स्वयं निर्णय क्षमता का अभाव होता है वे अपने व्यवसाय या उद्योग संचालन के लिए परिवार के सदस्यों की सलाह पर निर्भर रहती हैं।

अन्य समस्याऐं – महिला उद्यमियों को उपरोक्त समस्याओं के अतिरिक्त अन्य समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है जैसे –

- बिक्री व विपणन की समस्या।
- उधारी आदि वसूलने की समस्या।
- असफलता का डर।
- दौड़ भाग करने में असमर्थता।

महिला उद्यमियों के लिए भारत सरकार द्वारा संचालित योजनाऐं

अर्थव्यवस्था के विकास के लिए महिला उद्यमियों की भूमिका महत्वपूर्ण है। सरकार द्वारा महिला उद्यमिता को गति एवं दिशा देने के लिए विभिन्न योजनाओं का संचालन करने के साथ ही महिला उद्यमियों को रियायती ब्याज दर पर ऋण मुहैया कराया जा रहा है ताकि वह शुरूआती व्यवसाय आसानी से शुरू कर सकें। महिला उद्यमियों के लिए सरकार द्वारा संचालित योजनाऐं निम्न हैं –

- अन्नपूर्णा योजना (Annapurna Scheme)
- ओरिएंटल महिला विकास योजना (Oriental Mahila Vikas Yojana Scheme)
- मुद्रा योजना महिला उद्यमी (Mudra Yojana Scheme For Women)
- भारतीय महिला बैंक व्यवसायिक ऋण (Bharatiya Mahila Bank Business Loan)
- देना शक्ति योजना (Dena Shakti Scheme)
- उद्योगिनी योजना (Udyogini Scheme)
- सेण्ट कल्याणी योजना (Cent Kalyani Scheme)
- महिला उद्यम निधि योजना (Mahila Udyam Nidhi Scheme)
- स्त्री शक्ति योजना (Stree Shakti Package For Women Entrepreneurs)

अन्नपूर्णा योजना (Annapurna Scheme)

भारत सरकार द्वारा अन्नपूर्णा योजना को 31 अक्टूबर 2015 को जयपुर जिले के बमोरी गांव से शुरू किया गया. अन्नपूर्णा योजना के तहत वे महिला उद्यमी जो पैक किए गए भोजन, नाश्ते आदि खाद्य वस्तुओं को बेचने के लिए खाद्य खानपान उद्योग स्थापित करना चाहती हैं। इस योजना के भीतर स्टेट बैंक ऑफ मैसूर के द्वारा उन महिला उद्यमियों को पचास हजार रुपए की ऋण राशि दी जाएगी और जिसे 36 महीनों की मासिक किस्तों पर भुगतान करना होगा। यह ऋण महिला उद्यमी की प्राथमिक जरूरतों को पूर्ण करने के लिए दिया जाएगा, यानी कि बर्तन और अन्य उपकरणों को खरीदने के लिए। इस ऋण की ब्याज दर बाजार दर के हिसाब से लगाई जाएगी और यह ऋण प्राप्त करने के लिए महिला उद्यमी को एक गारंटर की आवश्यकता होती हैं, क्योंकि बिना गारंटर महिला उद्यमी को यह ऋण नहीं दिया जाएगा। भारत सरकार द्वारा उठाया गया महिला उद्यमीयों के लिए काफी अच्छा कदम है।

ओरिएंटल महिला विकास योजना (Oriental Mahila Vikas Yojana Scheme)

वे महिलाएं जो व्यक्तिगत रूप से या फिर संयुक्त रूप से एक मालिकाना चिंता के चलते 51% शेयर पूंजी रखती हैं, उन्हें ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के द्वारा ऋण प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत लघु उद्योगों में महिला उद्यमी को 10 लाख से लेकर ₹2500000 तक का ऋण दिया जाता है और इस ऋण को लेने के लिए किसी भी प्रकार के गारंटर की आवश्यकता नहीं होती हैं। अगर महिला उद्यमी अपने ऋण को पुनरभुगतान करना चाहती है तो उसकी अवधि 7 वर्ष है। इसके तहत 2% ऋण ब्याज दर की महिला उद्यमी को रियायत भी दी जाती हैं।

मुद्रा योजना महिला उद्यमी (Mudra Yojana Scheme For Women)

भारत सरकार द्वारा संचालित इस योजना के तहत वे महिलाएं जो, अपना व्यवसाय छोटे उद्यमों से शुरू करना चाहती हैं, जैसे ट्यूशन सेंटर, टेलरिंग यूनिट या फिर ब्यूटी पार्लर तो उन्हें किसी सम पार्श्विक गारंटर की आवश्यकता के बिना ऋण दिया जाता है। ऋण प्रदान करते समय आपको एक मुद्रा कार्ड भी दिया जाएगा और यह मुद्रा कार्ड आपके क्रेडिट कार्ड के समान ही कार्य करेगा और इस पर ऋण राशि के 10% तक सीमित धनराशि जमा होगी। मुद्रा योजना का लाभ आप तीन जनों के द्वारा उठा सकते हैं, जो कि इस प्रकार है–

शिशु ऋण – इसमें ऋण राशि 50000 तक सीमित हैं।

किशोर ऋण – इसमें ऋण राशि 50000 से लेकर 5 लाख रुपए के बीच होती हैं। इसका लाभ स्थापित उद्यम वाले लोगों द्वारा उठाया जा सकता है।

तरुण ऋण – इसमें ऋण राशि 1000000 रुपए तक की होती हैं।

इन तीन चरणों के द्वारा महिला उद्यमी इस मुद्रा योजना का लाभ बड़ी ही आसानी से उठा सकती हैं और अपने व्यवसाय को अच्छा कर सकती है।

भारतीय महिला बैंक व्यवसायिक ऋण (Bharatiya Mahila Bank Business Loan)

भारतीय महिला बैंक व्यवसायिक ऋण महिला उद्यमियों के लिए शुरू किया गया है। महिला उद्यमी को इस योजना के तहत अधिकतम ऋण राशि 200000000 तक दी जाती हैं और जिस पर 0.25% की छूट भी दी जाती है। इसे ऋण राशि पर ब्याज दर आमतौर पर 10.15% या फिर उससे अधिक की होती है। भारतीय महिला बैंक व्यवसायीकरण योजना की सबसे अच्छी बात यह है, कि यह लघु और सूक्ष्म उद्यम के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट के तहत एक करोड़ तक के ऋण के लिए सवपार्श्विक सुरक्षा की आवश्यकता नहीं होती हैं।

देना शक्ति योजना (Dena Shakti Scheme)

अगर महिला उद्यमी कृषि, विनिर्माण, सूक्ष्म–ऋण, खुदरा स्टोर या फिर सूक्ष्म उद्यमों के क्षेत्र में अपना व्यवसाय बढ़ाना चाहती हैं और जिन्हें वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती हैं उन्हें इस प्रकार के ऋण देना शक्ति योजना के तहत प्रदान किए जाते हैं। महिला उद्यमी को खुदरा व्यापार के लिए इस योजना के तहत अधिकतम ऋण राशि 2000000 दी जाती है, जिस पर ब्याज दर 0.25% होती हैं. ऋण में प्रदान की गई बैंक द्वारा इस राशि को महिला उद्यमी किस्तों के मासिक भुगतान के द्वारा बड़ी ही आसानी से चुका सकती हैं।

उद्योगिनी योजना (Udyogini Scheme)

इसी योजना के तहत वह महिला उद्यमी जिनकी आयु 18 से 45 वर्ष है और जो अपना व्यवसाय कृषि, खुदरा और छोटे उद्यमी क्षेत्र में कर रही हैं, उन्हें एक लाख रुपए तक ऋण दिया जाता है। अगर महिला उद्यमी के परिवार की वार्षिक आय ₹45000 से कम है, तभी वह इस योजना के द्वारा ऋण ले सकते हैं अन्यथा नहीं। इसकी सबसे अच्छी बात यह है, कि एससी और एसटी श्रेणियों की विधवा, निराश्रित या विकलांग महिलाओं को ₹10000 तक के ऋण पर 30% की सब्सिडी भी प्रदान की जाती है। उद्योगिनी योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी के द्वारा महिला उद्यमी अपने स्टार्टअप को काफी अच्छा ग्रो कर सकती हैं।

सेण्ट कल्याणी योजना (Cent Kalyani Scheme)

यदि महिला अपना नया उद्यम शुरू करना चाहती हैं या फिर उसे संशोधित करना चाहती हैं, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा उन्हें ऋण की डीएचएस योजना का लाभ दिया जाता है। इस योजना के तहत यह ऋण उन महिला उद्यमियों द्वारा लिया जा सकता है जो गांव, लघु, और मध्यम उद्योगों, स्वरोजगार, कृषि खुदरा व्यापार जैसे व्यवसायिक उद्यमों में शामिल होती हैं। इसी योजना के तहत महिला उद्यमी को ऋण लेते समय किसी भी गारंटर की आवश्यकता नहीं पड़ती हैं और इस योजना के तहत दी जाने वाले अधिकतम ऋण राशि 1 लाख है।

महिला उद्यम निधि योजना (Mahila Udyam Nidhi Scheme)

महिला उद्यम निधि योजना को पंजाब नेशनल बैंक द्वारा शुरू किया गया है और इस योजना का उद्देश्य लघु उद्योग में शामिल महिला उद्यमों को ऋण देकर उनका समर्थन करना है। महिला निधि योजना के तहत ब्यूटी पार्लर, डे केयर सेंटर, ऑटो रिक्शा दो पहिया वाहन का राधे खरीदने की अलग–अलग ऋण योजनाएं भी शामिल हैं और इसी योजना के तहत दी जाने वाली अधिकतम ऋण राशि 10,00,000 रुपए है।

स्त्री शक्ति योजना (Stree Shakti Package For Women Entrepreneurs)

यह योजना महिला उद्यमियों को ऋण राशि में छूट की दर प्रदान करवाती है। इसी योजना के तहत अगर महिला उद्यमी की ऋण की राशि 200000 से अधिक होती हैं तो यह 0.50% की छूट उस ब्याज दर पर प्रदान करवाती है। सरकार द्वारा इसी योजना को एसबीआई बैंक की अधिकांश शाखाओं द्वारा संचालित किया गया है।

निष्कर्ष

सरकार द्वारा महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने की अनेक योजनाऐं संचालित की जा रही हैं, मगर इन्हें महिला उद्यमियों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील बनाया जाना जरूरी है। आज बड़ी संख्या में महिलाऐं अपने उद्यम लगाकर सफलता प्राप्त कर रही हैं लेकिन, सरकार की विभिन्न पहलों के बावजूद भी महिला उद्यमियों की बैंकों के ऋणों तक पंहुच बहुत ही सीमित है, ज्यादातर महिला उद्यमी खुद वित्तीय संसाधन जुटाती हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में महिला उद्यमियों की महत्वपूर्ण भूमिका है इसलिए महिलाओं में उद्यमिता कौशल विकसित करने के लिए उन्हें मुफ्त प्रशिक्षण देने की आवश्यकता के साथ–साथ उनकी शिक्षा पर ध्यान देना होगा। शिक्षण व प्रशिक्षण के द्वारा महिलाओं में कौशल विकास किया जा सकता है। उद्यमिता विकास कार्यक्रमों के द्वारा उद्यम के व्यवहारिक पक्ष से महिलाओं को अवगत कराकर, उनमें आत्मविश्वास लाया जा सकता है। पिछड़े क्षेत्रों, गांवों आदि में महिलाओं को उद्यमिता के प्रति जागरूक करने के लिए ग्राम पंचायतों एवं स्थानीय निकायों को सम्मिलित किये जाने पर अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं।

महिला उद्यमियों को सरकारी योजनाओं व प्रोत्साहनों के प्रति जागरूक करने के साथ ही महिलाओं में निर्णय लेने की भागीदारी को भी प्रोत्साहित करना होगा। अतः महिला उद्यमशीलता के लिए सरकार की नीतियों को सहयोगी बनाकर आर्थिक व सामाजिक परिदृश्य को बदलना जरूरी है।

सन्दर्भ

1. कुरूक्षेत्र, फरवरी 2020, पृष्ठ सं० 48
2. योजना, दिसम्बर 2021, पृष्ठ सं० 44
3. डा० एस०पी० माथुर, भारत में उद्यमिता विकास 2010, हिमालया पब्लिशिंग हाऊस, मुम्बई
4. डा० मिलिन्द कोठारी, उद्यमिता विकास 2016, रमेश बुक डिपो जयपुर, नई–दिल्ली।
5. https://www.businessideashindi.com
6. https://www.thinkwithniche.in
7. https://www.kailasheducation.com
8. https://www.informise.com
9. https://www.jetif.org/Pa